रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082025-265205
CG-DL-E-05082025-265205

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3495] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 4, 2025/श्रावण 13, 1947
No. 3495] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 4, 2025/SHRAVANA 13, 1947

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2025

का.आ. 3581(अ).—जबकि मेसर्स **हिन्दुस्तान ज़िंक लिमिटेड**, जिसका पंजीकृत पता **यशद भवन, स्वरूप सागर, उदयपुर, राजस्थान – 313004** में स्थित है, ने ट्रांसमिशन प्रणाली **"मैसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (HZL) को एक बल्क उपभोक्ता के रूप में 200 मेगावाट की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए समर्पित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना"** के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक **22.03.2024** की अपनी फाइल संख्या **25-17/27/2024-पीजी** के अनुसार विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के तहत **"मैसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (HZL) को एक बल्क उपभोक्ता के रूप में 200 मेगावाट की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए समर्पित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना"** के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हेतु पूर्व स्वीकृति प्रदान की थी।

मेसर्स **हिन्दुस्तान ज़िंक लिमिटेड** ने स्थानीय समाचार पत्रों **टाइम्स ऑफ़ इंडिया (अंग्रेजी में), दैनिक भास्कर (हिंदी में) और दैनिक नवज्योति (हिंदी में)** दिनांक **18.12.2024** एवं भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक **22.02.2025** में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से दो महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों/ अभ्यावेदन देने हेतु नोटिस प्रकाशित किया था। तत्पश्चात, मेसर्स **हिन्दुस्तान ज़िंक लिमिटेड** ने दिनांक 14.05.2025 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया था, जिसमें घोषणा की गई है कि समाचार पत्र/ भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो महीने के भीतर शून्य टिप्पणियां/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत **"मैसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (HZL) को एक बल्क उपभोक्ता के रूप में 200 मेगावाट की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए समर्पित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना"** पारेषण योजना के तहत ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किए गए टेलीग्राफ लाइन एवं खंभे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किए जाने हेतु, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड लाइनें शामिल हैं :

- कांकरोली (पीजी) – एचजेडएल 220 केवी डी/सी लाइन

उपरोक्त योजना के अंतर्गत कवर की गई ट्रांसमिशन लाइनें **राजस्थान राज्य** के निम्नलिखित गांवों, कस्बों और शहरों से होकर, ऊपर, आसपास और बीच से गुजरेंगी:

क्र.सं.	गांवों का नाम	तहसील	ज़िला
1	साकरड, देवरीखेड़ा, डुलियाणा, केकेमाखेड़ा, महासंस की माद्री, अकोदिया का खेड़ा, गाडरियावास, कुआंरिया, खांकल्याखेड़ा, रूपा का खेड़ा, बणै, डूमखेड़ा, मदरा, बागडोला, भावा, सोनियाणा, शंभूपुरा, घाटी, केसरपुरा, लालपुर, महखेरा, गोगथला, पेमाखेड़ा, मेघाखेड़ा, प्रेमपुरा, पीपली अहिरान, मोहनपुरा, पांडोलाई, पीपली, बड़लिया	कुंवारिया	राजसमंद
2	भुरवाड़ा, चौकड़ी, सकरावास, मऊ, मंदरा, मोर्रा, रेलमगरा, लाठियाखरी, नवाखेड़ा, सिन्देसर खुर्द, सरवरियाखेड़ी, सादड़ी, बंजारो का खेड़ा, भामाखेड़ा, ओरा, यादव कॉलोनी, अरड़किया, नारायणगंज, तेजपुरा, फुकिया, करोलिया, मेनिया, भराई, मेहंदुरिया, लालपुर, लक्ष्मीपुरा, सोपुरा, मलिकेरा, राजपुरा, सुनारियाखेड़ा, चोथपुरा, मण्डप्रियखेड़ा, माखनपुरिया, शिवपुरा, नवारखेड़ा, काबरा, नया दरीबा, दरीबा, माताजी का खेड़ा, आंजना, छारंगाखेड़ी, सांसेरा, गवारड़ी, कांटीयाखेड़ा, कोटड़ी, काबरा	रेलमगरा	राजसमंद

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स **हिन्दुस्तान ज़िंक लिमिटेड** को उपर्युक्त ओवरहेड लाइन बिछाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किए गए टेलीग्राफ लाइन एवं खंभों या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किए जाने हेतु टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं :

i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए दिया जाता है।

ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइन के निर्माण से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों आदि की सहमति लेनी होगी।

iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत समुचित आयोग द्वारा बनाए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपेन एक्सैस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक / मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का संचालन करेगा।

v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं के अनुपालन के अध्यधीन है।

vi. मेसर्स **हिन्दुस्तान ज़िंक लिमिटेड** को नागर विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने के बाद, इसे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

vii. यदि उपरोक्त, ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ हिस्सा) ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है, तो आवेदक को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) मामले के संबंध में 2019 की याचिका संख्या 838 पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तकनीकी/विशेषज्ञ समिति के निर्देशों का पालन करना होगा।

[फा. सं. 25-16/47/2025-पीजी]
एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, 4th August, 2025

S.O. 3581(E).—Whereas M/s **Hindustan Zinc Limited (HZL)** having its registered address at **Yashad Bhawan, Udaipur, Rajasthan – 313004** has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under the Transmission Scheme **"installation of the dedicated overhead transmission line for providing connectivity of 200 MW to M/s Hindustan Zinc Limited (HZL) as a bulk consumer".**

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its File No. **25-17/27/2024-PG, dated 22.03.2024** had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under the transmission scheme **"installation of the dedicated overhead transmission line for providing connectivity of 200 MW to M/s Hindustan Zinc Limited (HZL) as a bulk consumer"**.

M/s **Hindustan Zinc Limited (HZL)** had published notice for transmission scheme in local newspapers **Times of India** (in English), **Dainik Bhaskar** (in Hindi) and **Dainik Navjyoti** (in Hindi) **dated 18.12.2024** and in Weekly Gazette of India dated **22.02.2025** for the public to make observations/representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s **Hindustan Zinc Limited (HZL)** has submitted an affidavit dated 14.05.2025 declaring that no observations/representations were received within two months from the date of publication in the Newspaper / official gazette of Government of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme **"installation of the dedicated overhead transmission line for providing connectivity of 200 MW to M/s Hindustan Zinc Limited (HZL) as a bulk consumer"**.

- Kankroli (PG) - HZL 220kV D/c line

The transmission lines covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Rajasthan State:

S No.	Name of villages	Tehsil	District
1	Sakrda, Devrikhera, Duliana, Kkemakhera, Mahasation ki Madri, Akodiya Ka Khera, Gadriyawas, Kuanriya, Khankalyakhera, Rupa Ka Khera, Banai, Dumkhera, Madra, Bagdola, Bhawa, Soniana, Shambhupura, Ghati, Kesarpura, Lalpur, Mahkhera, Gogathla, Pemakhera, Meghakhera, Prempura, Pipli Ahiran, Mohanpura, Pandolai, Pipli, Barliya	Kunwariya	Rajsamand
2	Bhurwara, Chaukri, Sakrawas, Mau, Mandara, Morra, Relmagra, Lathiyakhri, Navakhera, Sindesar Khurd, Sarvariyakheri, Sadri, Banjaron Ka Khera, Bhamakhera, Ora, Yadav Colony, Ardkiya, Narayanganj, Tejpura, Phukiya, Karoliya, Meniya, Bharai, Mahanduriya, Lalpur, Lachhmipura, Sopura, Malikera, Rajpura, Sunariyakhera, Chothpura, Mandpriyakhera, Makhanpuriya, Shivpura, Navakhera, Kabara, Naya Dariba, Dariba, Mataji ka Khera, Anjana, Chharangakheri, Sansera, Gawardi, Kantiyakhera, Kotari, Kabara.	Railmagra	Rajsamand

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s **Hindustan Zinc Limited (HZL)** for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

i. The approval is granted for 25 years.

ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.

iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.

iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

vi. M/s **Hindustan Zinc Limited (HZL)** shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the orders of the Hon'ble Supreme Court in the petition No.838 of 2019 regarding Great Indian Bustard (GIB) case, and the directions of the technical/expert committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.

[F.No. 25-16/47/2025-PG]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.08.05 14:45:45 +05'30'